

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक एफ.3 (ख)(1) परीक्षा-2011/अलेसे-11/ 5283-91

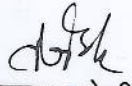
दिनांक: 16 जुलाई 2014

आदेश संख्या 46 2014-15

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(6)वित्त/नियम/96 दिनांक 24.05.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के नीचे अंकित राज्य सरकार के निर्णय संख्या 2 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकार की 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 7 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 8 में अंकित दिनांक को (मध्यान्ह पश्चात्) राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क सं	लिक नं	मेरिट नं	नाम	श्रेणी	वर्तमान पदस्थापन विभाग / कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5898	746/88	विशनदास सिंधी	-	कोष कार्यालय अजमेर	15.03.1955	31.03.2015

यहाँ यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लेखाकार के विरुद्ध आदेश जारी होने की तिथि तक निदेशालय में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 के अन्तर्गत कोई जाँच लम्बित नहीं है।

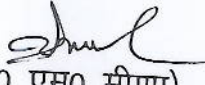

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख)(1) परीक्षा-2011/अलेसे-11/ 5283-91

दिनांक: 16 जुलाई 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय अजमेर
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. श्री विशनदास सिंधी, लेखाकार, कोष कार्यालय अजमेर
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. डीपीसी अनुभाग/गोपनीय शाखा।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के0 एम0 मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)